न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

<u>आप. प्रक. क.–161 / 2012</u> <u>संस्थित दिनांक 13.03.2012</u> ठाईलिंग नं.–234503002192012

ス こ 、	
मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, मलाजखण्ड 🦴	
जिला बालाघाट (म.प्र.) // विरूद //	— — — — <u>अभियोजन</u>
1.भक्कूदास पिता बिरनदास उम्र 28 वर्ष,	
2.सुन्नुदास पिता झगडुदास उम्र 38 वर्ष,	
दोनों निवासी मोहगांव थाना मलाजखण्ड,	
जिला बालाघाट (म.प्र.)	— — — — <u>आरोपीगण</u>

// <u>निर्णय</u> // <u>(आज दिनांक 14/12/2017 को घोषित)</u>

- 01— आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34, 506 भाग—2 के तहत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 12.02.2012 को 02:30 बजे दिन में ग्राम रेहगी तुरकर के मकान के बाजू में थानांतर्गत मलाजखण्ड में आहत सुनील डहरवाल को लोकस्थान पर अथवा उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित कर एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत सुनील डहरवाल एवं फरियादी मंशाराम उयके को हाथ—मुक्कों से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित किया एवं आहत को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी मंशाराम उयके ने आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि

करीब दो माह से मोहगांव से परसाटोला रोड पर काम करने आया था और सुनील डहरवाल के साथ जे.सी.बी. मशीन में हेल्पर का काम कर रहा था। दिनांक 12.02.12 को ग्राम रेहगी में तुरकर के मकान के पास सुनील जे.सी.बी. से रोड पर मिट्टी डाल रहा था, तभी करीब 2:30 बजे दिन में एक मोटर सायकिल से तीन लोग लोरा तरफ से आये और आगे जाकर गाड़ी से उतरकर दो व्यक्ति जिनका नाम भक्कुदास एवं छोटूदास आये और सुनील डहरवाल द्भायवर को गाड़ी देखकर नहीं चलाता कहकर मॉ-बहन की अश्लील गाली देकर गाड़ी जे.सी.बी. से खींचकर दोनों हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगे। दोनों व्यक्ति साले, मादरचोद हाजारी दुम्बे को ही कहकर मॉ-बहन की गाली दे रहे थे। वह तथा उनके तीसरे साथी ने बीच-बचाव किया। मारपीट से सुनील को को गर्दन, सीने में चोटें आयी। भक्कु और छोटू बोले यहाँ कौन गाड़ी चलाता है देखते है जो चलायेगा उसे जान से खत्म कर देगें और गाड़ी जला देंगे की धमकी दे रहे थे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर घटनास्थल का मौका नक्शा, गवाहों के कथन लेख किये गये। आरोपीगण को गिरफतार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र क्रमांक 10 / 12 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34, 506 भाग—दो के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत सुनील ने आरोपीगण से आंशिक रूप से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपीगण को आहत सुनील के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34, 506 भाग—दो के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294,323/34,506 भाग—दो में फरियादी मंशाराम के संबंध विचारण किया गया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्निखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1.क्या आरोपीगण ने दिनांक 12.02.2012 को 02:30 बजे दिन में ग्राम रेहगी तुरकर के मकान के बाजू में थानांतर्गत मलाजखण्ड में एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी मंशाराम उयके को हाथ—मुक्कों से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित किया ?

सकारण व निष्कर्ष

- 05— परिवादी मंशाराम अ.सा.01 ने कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसने घटना की कोई रिपोर्ट नहीं की थी। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रपी—1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रपी—2 नहीं बनाया था। प्रपी—2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। उसका घटना के संबंध में कोई ईलाज नहीं हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके कोई बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि दिनांक 12.02.12 को आहत सुनील के साथ जे.सी.बी. मशीन में हेल्पर का काम कर रहा था, ग्राम रेहगी में तुरकर के मकान के सामने सुनील जे.सी.बी. मशीन से रोड पर मिट्टी डाल रहा था, उसके समक्ष मोटर सायिकल में लोरा तरफ से तीन लोग आये थे, उक्त मोटर सायिकल से दो लोग उतर कर आहत सुनील के पास आये थे, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उक्त दोनों व्यिक्तयों ने आहत सुनील को गाड़ी देखकर नहीं चलाता है कहा था।
- 06— परिवादी मंशाराम अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी यह स्वीकार किया है कि उक्त दोनों व्यक्तियों के नाम भक्कूदास एवं छोटूदास थे, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया कि उक्त दोनों आरोपीगण ने सुनील को साले मादरचोद की गाली देकर गाड़ी जे.सी.बी. से खींचकर दोनों ने हाथ—मुक्कों से मारपीट किये थे, उसके समक्ष उक्त दोनों व्यक्ति साले मादरचोद हाजारी दुम्बे को ही कहकर माँ—बहन की गाली दे रहे

थे, उसने आरोपीगण एवं आहत के बीच में बीच—बचाव किया था, सुनील को गर्दन और सीने पर चोट लगी थी, आरोपीगण ने कौन गाड़ी चलाता है देखते है वाली बात कहे थे। साक्षी के अनुसार वह झगड़ा होने के 20 मिनट बाद आया था तो उसे कोई पता नहीं लगा था। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने प्रपी—1 की रिपोर्ट थाना मलाजखण्ड में किया था, पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी—नक्शा प्रपी—2 बनाये थे, उसके द्वारा बीच—बचाव किया गया था और उसी धक्का—मुक्की में उसे भी चोट लगी थी।

07— परिवादी मंशाराम अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 12.02.12 को उसे किसी अन्य घटना में कोई चोट नहीं आयी थी और ना ही वह ईलाज करवाने शासकीय अस्पताल मोहगांव गया था। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रपी.03 का कथन दिया था, उक्त बीच—बचाव के दौरान उसे चोट लगी थी, उक्त चोट के कारण ही वह रिपोर्ट लिखवाने थाना मलाजखण्ड गया था, उसके बताये अनुसार ही पुलिस ने प्रपी—1 की रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, आरक्षक विजय क्रमांक 521 थाना मलाजखण्ड के आरक्षक ने उसे ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल मोहगांव गया था, वह जानबूझकर आरोपी को बचाने के लिये न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जे.सी.बी. मशीन का झ्रायवर सुनील को गाली गुफ्तार एवं मारपीट करते हुये आरोपीगण को नहीं देखा, घटना स्थल पर किस—किस नाम के व्यक्ति आये थे नहीं बता सकता।

08— साक्षी गेमप्रसाद तुरकर अ.सा.02 ने कथन किया कि वह आरोपीगण एवं आहत सुनील एवं मंशाराम को नहीं जानता है। घटना उसके

न्यायालयीन कथन से करीब पांच साल पूर्व ग्राम रेहगी सेंड की है। उसे पुलिसवालों ने बताया था कि किसी का झगड़ा हो गया है उसके अलावा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया कि घटना दिनांक 12.02.2012 को वह रोड पर खड़ा था तभी करीब ढाई बजे मोटर साईकिल से तीन लोग आये और जे.सी.बी मशीन के द्वायवर को जोर जोर से मॉ—बहन की गाली देकर मशानि से खींचकर मारने लगे, वह दौड़ा तो देखा कि मोहगांव के भक्तूदास और सुन्नुदास थे जो शराब पीकर इायवर और हजारी धुम्बे को मॉ—बहन की गंदी—गंदी गाली देकर मारपीट कर रहे थे, द्वायवर के गले में चोट लगी थी व खून निकल रहा था, उसे भी धक्का मुक्की और गाली—गुफ्तार कर बोल रहे थे कि गाड़ी को आग लगा देंगे और जो गाड़ी चलायेगा उसे खत्म कर देंगे। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.04 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपी से मिलकर न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

09— साक्षी डॉ० एल.एन.एस. उइके अ.सा.०३ ने कथन किया कि वह दिनांक 20.02.12 को खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मलाजखण्ड के आरक्षक विजय कमांक 521 के द्वारा परीक्षण हेतु आहत मंशाराम को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया। आहत का परीक्षण करने पर उसने आहत के शरीर पर चोट कमांक—1 एक खरोंच बांये पैर के ऊपरी भाग में पाया था। उसके मतानुसार आहत को आयी चोट कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। उक्त चोट साधारण प्रकार की थी, उसके परीक्षण के 03 से 09 घंटे के अंदर की थी, जो 1—2 दिन में भर सकती है, यदि कोई जटिलता न हो तो। उसकी परीक्षण

रिपोर्ट प्रपी—05 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आहत को आई चोट जमीन पर गिरने से आ सकती है।

- साक्षी सुनील अ.सा.05 ने कथन किया कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना करीब पांच वर्ष पूर्व ग्राम रेहगी में दिन के समय की है। घटना के समय वह दुबे ठेकेदार के निर्माण कार्य में जे.सी.बी. गाड़ी चला रहा था। गाड़ी कास करने के दौरान उसका आरोपीगण से वाद–विवाद हुआ था। लोगों की समझाईश पर उनका झगड़ा शांत हो गया और उन लोग वहाँ से चले गये थे। उसने घटना की कोई शिकायत नहीं की थी और ना ही पुलिस ने उसके बयान लिये थे। न्यायालय द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 02.12.12 को आरोपीगण द्वारा उसे मॉं–बहन की गंदी–गंदी गालियाँ देकर मारपीट की गई थी, आरोपीगण द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद उसने केम्प में आकर कंपनी वालों को जानकारी दी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपीगण के साथ मौखिक विवाद हुआ था, आरोपीगण द्वारा उसके साथ किसी प्रकार की गाली-गलौच एवं मारपीट नहीं की गई थी, उसका आरोपीगण के साथ समझौता हो गया है और वह उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है ।
- 11— साक्षी जैनेन्द्र उपराड़े अ.सा.०४ ने कथन किया कि वह दिनांक 13.02.2012 को थाना मलाजखंड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा प्रार्थी शंभुसिंह की मौखिक सूचना पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध कमाक 11/12 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 भाग—दो, 34 भा.दं.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा

घटनास्थल पर जाकर प्रार्थी मंशाराम की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी मंशाराम तथा गवाह सुनील, गेंदप्रसाद के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपीगण भक्कुदास और सुन्नुदास को गवाह भैयादास तथा शेख साहिद के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.03 तथा 04 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। संपूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन उसके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

- 12— साक्षी जैनेन्द्र उपराड़े अ.सा.4 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि मौका नक्शा प्र.पी.02 थाने में बैठकर तैयार किया था और मौका नक्शा में घटनास्थल का विवरण दर्शाया था, मौका नक्शा तैयार करते समय प्रार्थी मंशाराम उपस्थित नहीं था, आरोपी भक्कुदास एवं सुन्नुदास को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार नहीं किया था, उसने प्र. पी.03 एवं 04 की कार्यवाही थाने में बैठकर तैयार की थी, उसने प्रार्थी मंशाराम तथा गवाह सुनील एवं गेंदप्रसाद के बयान अपने मन से लेख कर लिये थे।
- 13— घटना के फरियादी मंशाराम अ.सा.01 तथा साक्षी गेमप्रसाद तुरकर अ.सा.02 द्वारा घटना से स्पष्ट इंकार कर अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है। घटना के आहत सुनील अ.सा.05 द्वारा अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि उसका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है और वह उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्तगण के विरूद्ध मात्र चिकित्सक तथा विवेचक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसी स्थिति में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर एकराय

होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी मंशाराम उयके को हाथ—मुक्कों से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित किया। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323/34 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 14- आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 15— प्रकरण में आरोपीगण अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहे है। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 16- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट सही / –

(अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

